

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स को पुनरीक्षित करने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय में दिनांक 26-04-2017 को प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

01	श्री आर0सी0 पुरोहित	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
02	श्री के0के0 श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता (पी0एम0जी0एस0वाई0)
03	श्री बी0सी0 बिनवाल	मुख्य अभियन्ता (हल्द्वानी)
04	श्री के0पी0 जोशी	मुख्य अभियन्ता (अल्मोड़ा)
05	श्री सत्येन्द्र शर्मा	मुख्य अभियन्ता (पिथौरागढ़)
06	श्री राजेन्द्र गोयल	मुख्य अभियन्ता (देहरादून)
07	श्री अयाज अहमद	मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 (हल्द्वानी)
08	श्री के0पी0 उप्रेती	अधीक्षण अभियन्ता (देहरादून)
09	श्री राजेश शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 (देहरादून)
10	श्री एस0के0 राय	अधीक्षण अभियन्ता (हल्द्वानी)
11	श्री एन0पी0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता (टिहरी)
12	श्री एन0एल0 वर्मा	अधिशाली अभियन्ता (टिहरी)
13	श्रीमति रचना थपलियाल	अधिशाली अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय
14	श्री एस0के0 वर्मा	सहायक अभियन्ता (सिविल वृत्त हरिद्वार)
15	श्री एम0एम0एस0 पुण्डिर	सहायक अभियन्ता (प्रान्तीय खण्ड देहरादून)
16	श्री मनोज सिंह पँवार	सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स को पुनरीक्षित करने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय में दिनांक 26-04-2017 को प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में समस्त संसाधनो यथा श्रमिक, मशीनरी एवं सामग्री की दरों के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। शेड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध मदों तथा नई मदों जिन्हें शेड्यूल ऑफ रेट्स में सम्मिलित किया जाने की आवश्यकता है के संबंध में भी उपस्थित अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए। बैठक में प्राप्त सुझावों पर विस्तृत चर्चा, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक तथा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स को पुनरीक्षित कर दिया गया है, जिसे दिनांक 01-05-2017 से लागू समझा जाय।

इस शेड्यूल ऑफ रेट्स में निम्न प्राविधान / संसोधन किए गए हैं-

- 1 वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स विभागीय web-site <http://pwwsor.pwduk.in> पर "PDF Format" में उपलब्ध रहेगे। जिसका पूर्व की भांति LOGIN ID -PWDSOR व Password -SOR1234 है। विगत वर्षों के SOR पूर्व की भांति PWIMS सॉफ्टवेयर की web-site <http://202.91.91.120> पर उपलब्ध रहेंगे।
- 2 श्रमिक तथा मशीनरी हेतु ब्लाकवार निर्धारित INDEX में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- 3 SOR हेतु Labour की मूल दरों में Cost Index के आधार पर 3.5% की बढ़ोत्तरी करते हुये निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है।

Type of Labour	Rate for FY 2017-18
Unskilled	260.00per Day
Semiskilled	285.00 per Day
Skilled	375.00per Day
Highly skilled A	455.00per Day
Highly skilled B	470.00per Day
Highly skilled C	480.00per Day

- 4 विभागीय सप्लाई हेतु Labour की दरे अलग से निर्धारित की जाएंगी।
- 5 मशीन की दरे पूर्व की भाति रखी गयी है, परंतु कुछ संसाधनों की दरों में विसंगतिया थी अतः उन संसाधनों की दरों में परिवर्तन किया गया है।
- 6 Material की दरों को वर्तमान बाजारी दरों, रायल्टी की दरों तथा फील्ड से प्राप्त Feedback के आधार पर पुनरीक्षित कर दी गयी है।
- 7 MORTH तथा MORD SOR के Rate Analysis का Data Book के अनुसार पुनः परीक्षण किया गया तथा पायी गयी कमियों को ठीक किया गया है।
- 8 कुछ सामग्री की cartage lead में विसंगतिया थी जिन्हें समान प्रकार के material की cartage lead के आधार पर संशोधित किया गया है।
- 9 SOR में ली गयी Lead Data वर्ष 2010-11 में संकलित की गयी थी, विगत वर्षों में नयी सड़को का निर्माण, Quarry के स्थान में परिवर्तन आदि स्थानीय कारणों से सामग्री की Cartage Lead में change होने की संभावना है, अतः सिविल वृत्तों के समस्त अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि समस्त सामग्री की SOR में प्रयुक्त ब्लॉक वार Lead Distance का पुनः विस्तृत परीक्षण कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- 10 MISCELLANEOUS-SOR में निम्न परिवर्तन किए गए हैं -
 - वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पीसी तथा सील कोट की नयी मद जोड़ी गयी है।
 - 60 मीटर स्पान तक के सेतुओं हेतु Erection of Steel Truss (Girder) Bridge की नयी मद जोड़ी गयी है। उक्त से अधिक स्पान के सेतु के Erection हेतु DPR गठन के समय Consultant से Erection Scheme प्राप्त कर तदनुसार विश्लेषित की जाय।
 - 80mm thick Interlocking Concrete Block Pavements of M-40 Grade की नयी मद जोड़ी गयी है।
 - Dewatering हेतु प्रति HP प्रति घंटा की नयी मद जोड़ी गयी है।
 - Road Studs / Cat Eye, Solar Road Studs, Spring Posts, Road Delineators, PVC Traffic Cones, Median Markers, AFP Hazard Marker की नयी मद जोड़ी गयी है।
 - नवीन विशिष्टियों के अनुसार Type IV तथा Type XI ग्रेड की retro- reflective Sheet के Traffic Signs की मदों की दरे जोड़ी गयी है।
 - इस SOR में समय समय पर आवश्यकतानुसार Item जोड़े जाते रहे हैं जिस कारण मदों का क्रम अव्यवस्थित था, अतः समान प्रकार की मदों को चैप्टर में व्यवस्थित किया गया है, जिस कारण इस SOR की मदों के SI.No. परिवर्तित किए गए हैं।
 - मदों की भाषा में यथासंभव MORTH/MORD के अनुसार भाषा व Specification Clause को जोड़ा गया है।
 - R.R. Stone Masonry laid in Mud Mortar को Delete कर दिया गया है।

- R.R. Stone Masonry laid in 1:6 में MORD specification के अनुसार Bond Stone की लागत जोड़ी गयी है।
- कार्यस्थल पर Wire crates की भौतिक माप सुनिश्चित करने हेतु Wire crates Per No की मद को हटा दिया गया है तथा Wire crates की प्रति Cum दरे ही प्रयोग की जानी है।
- Cement plum Concrete में concrete 1:3:7 को concrete 1:3:6 से परिवर्तित किया गया है तथा Rate Analysis में तदनुसार संशोधन किया गया है।
- नवीन IRC code के अनुसार Cement Concrete Pavement में minimum PCC Grade M-30 का प्रयोग किया जाना है, अतः Cement Concrete Pavement in PCC Grade M-25 को Cement Concrete Pavement in PCC Grade M-30 में परिवर्तित किया गया है तथा Rate Analysis में तदनुसार संशोधन किया गया है।
- Premix Carpet हेतु MORD SOR में मद उपलब्ध है परंतु जिन Single Lane मार्गों पर MORD Specification के अनुसार Prime coat कर मार्ग को 24 घंटे तक यातायात हेतु बाधित रखना संभव न हो उन Single Lane मार्गों पर PWD Specification के अनुसार बिना Prime coat के PC over WBM surface including Tack Coat की मद इस SOR में रखी गयी है, परंतु तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी इस मद के प्राविधान को स्वीकृत करने से पूर्व संतुष्ट हो ले की मार्ग पर MORD Specification के अनुसार PC करना संभव नहीं है।
- Premix Carpet Over existing painted surfaces per PWD Specification की मद को Delete कर दिया गया है।
- Surface Dressing P1/P2 की मदे MORD SOR में उपलब्ध है अतः इस मद को Delete कर दिया गया है।
- सेतुओं के निर्माण हेतु MORTH के Specification व SOR प्रयोग करने हेतु पूर्व से ही निर्देश है अतः Random Coursed Rubble Masonry व strip seal expansion joint की मदों को Delete कर दिया गया है।
- Providing and spreading RBM (treated as granular sub-base /base/surface course material) की मद को Delete कर दिया गया है, यदि किसी अन्य कार्य हेतु RBM की आवश्यकता हो तो Material PM2211- River Bed Material की दरो के आधार पर मद की दर विश्लेषित की जा सकती है।
- Vacuum dewatering in fresh concrete की मद को Delete कर दिया गया है।
- MORD तथा MORTH -SOR में Bearing की Fitting & Fixing की दरे (excluding Cost of Bearing) दी गयी है जिसमें DPR गठित करते समय design के अनुसार Bearing की बाजारी दरे प्राप्त कर दर विश्लेषित की जाय।
- Patch Repair के कार्य (जिनकी माप 10Sqm से कम हो) में Bituminous कार्य हेतु SOR दरों में 10% अतिरिक्त देय होगा।

प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रभारी सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अल्मोड़ा / हल्द्वानी / पौड़ी / टिहरी / पिथौरागढ़ / देहरादून लो0नि0वि0
6. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक / पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 देहरादून / हल्द्वानी / अल्मोड़ा
7. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता / विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
12. प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
13. प्रबंध निदेशक, USIDC, देहरादून।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0याँ0 लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I/II समस्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर -I, लो0नि0वि0 देहरादून।
16. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. अधिशासी अभियन्ता टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड